

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002  
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-द्वितीय के दल क्रमांक-08 का दौरा कार्यक्रम

'PA on Direct Benefit Transfer – Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)'

Sh. B P Meena/Sr AO	Sh. Sanjeev Saxena/Sup.	Sh. Pushpendra Singh/Asst. Sup.
MPGWB 3110431	MPGWB 3110899	MPGWB 3111521

क्र.	कार्यालय	कार्य दिवस	अवधि
प्रस्थान: गुना		दिनांक 19.09.21	
1	सी.ई.ओ. जिला पंचायत गुना	05	20.09.2021 से 24.09.2021
2	दो सी.ई.ओ. जनपद पंचायत गुना (ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए)	20(2*10)	27.09.2021 से 27.10.2021
प्रस्थान: ग्वालियर		दिनांक 27.10.2021 (रात्रि) / 28.10.2021	
Total days		25	
अवकाश :- सितम्बर-4,5,11,12,18,19,25,26 अक्टूबर 2,3,9,10,15,16,17,19,20,23,24,30,31			
टीप: लेखापरीक्षा दल के लिए अनुपालनार्थ निर्देश अगले पृष्ठ पर अंकित है।			

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 15.09.2021)

— हस्ता —  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
एमजी-2 (मुख्यालय)

**विषय निर्देश:**

1. - पीए के लिए कवरेज अवधि 2017-18 से 2020-21 होगी।
2. - जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन उपमहालेखाकार महोदय की सलाह/अनुमोदन से किया जायेगा।
3. - समीक्षा से संबंधित अनुमोदित गाइडलाईन/एडीएम के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा की जायेगी और साक्ष्य हेतु सभी आवश्यक अभिलेखों स्कैन कॉपी/फोटोकॉपी एकत्र करना सुनिश्चित करें। चयनित जनपद पंचायतों में पंजीकृत/स्वीकृत लाभार्थियों का डेटा (अवधि 2016-17 से 2020-21) सॉफ्टकॉपी में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
4. - ऑडिट आपत्तियां उपमहालेखाकार महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
5. - प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में 10 आवासों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। आवासों के भौतिक निरीक्षण में अपूर्ण आवास, एसटी/एससी/अल्पसंख्यक और महिला लाभार्थियों के आवासों का भी भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करना होगा। भौतिक निरीक्षण निर्धारित प्रपत्र पर करना सुनिश्चित करें और यदि निरीक्षण के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रपत्र में दिए गये बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु संज्ञान में आता है तो प्रपत्र में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें। यदि परिवहन विभाग से मिलान किए गये डेटा में से यदि कोई लाभार्थी चयनित ग्राम पंचायत में है तो उसको भी शामिल किया जाये और उससे वाहन के संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त की जाये।
6. - प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत में 70 बैंक खातों का बैंक से सत्यापन किया जाना है (जोखिम के आधार पर बैंक खातों का चयन करें) जिसमें एसटी/एससी/महिला लाभार्थियों के बैंक खातों को भी सत्यापन हेतु लिया जाना होगा।
7. - पीए के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग/फोटोकॉपी समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
8. - पीए के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए और वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
9. - प्रथम दिन इकाई प्रमुख प्रारम्भिक बैठक में पीए के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चाकर बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करना होगा और अंतिम दिन समापन बैठक करना सुनिश्चित करें जिसके कार्यवृत्त में अप्रस्तुत अभिलेख (ज्ञापन का उल्लेख करते हुए) को शामिल करते हुए मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 10.- डेटा एनालिसिस के दौरान पायी गई आपत्तियों रिकार्ड/आवाससॉफ्ट से सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 11.- उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें और पीए से संबंधित बिन्दुओं पर लीड पार्टी से सहयोग प्राप्त करें और टेलीफोनिक संपर्क में रहे।
- 12.- लेखापरीक्षा दल कोविड 19 के संबंध में समय≤ पर जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। यदि कुछ होता है तो तुरन्त उपमहालेखाकार महोदय की जानकारी में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- 13.- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- 14.-Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- 15.-The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises,

they should immediately inform to DAG.

— ६०१ —

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
एएमजी-२ (मुख्यालय)